

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Second Appeal No. 186/2024

Lrs Of Prem Singh

----Appellant

Versus

Mahvaeer Singh

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Param Veer Singh

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

06/05/2025

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से बताया गया कि पूर्व में अपील पेश करते वक्त ही मान सिंह मृतक के वारिस 2/1 मंगेज कंवर को पक्षकार बना दिया गया था। कार्यालय द्वारा आपत्ति किए जाने पर ही आवेदन-पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित नियम 9 सी.पी.सी. का पेश करने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2024 को प्रार्थना-पत्र स्वीकार लिया गया परंतु न्यायालय द्वारा संशोधित वाद शीर्षक पेश करने का आदेश में उल्लेख कर दिये जाने से कार्यालय द्वारा इस संबंध में आपत्ति की गई है। संशोधित वाद शीर्षक पेश करने की आवश्यकता इस मामले में नहीं है। पहले से अपील में वारिसों को रिकॉर्ड पर दर्ज कर दिया गया है, ऐसी अवस्था में इस न्यायालय के आदेश 27.09.2024 में संशोधित करते हुए संशोधित वाद शीर्षक अलग से पेश करने की आवश्यकता नहीं होना करार दिया जाता है।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख तलब किया जावे एवं उक्त अभिलेख तलब करने के पत्र को योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को दस्ती के रूप में प्रदान किया जावे।

प्रकरण अभिलेख प्राप्त होते ही सूचीबद्ध किया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J